माननीय आर.एस. मोंगिया और के.के. श्रीवास्तव, जे.जे.

कुलदीप सिंह और अन्य, -याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, -प्रतिवादी।

सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक 10787/1995

28 अगस्त, 1995

भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद 14, 16 और 320—हरियाणा इंजीनियर्स सेवा, क्लास आईटी, पी.डब्ल्यू.डी (सिंचाई शाखा) नियम, 1970—8 और 22 है–हरियाणा सरकार मेमो नंबर 3/1/90/सीएस III दिनांक 5 सितंबर 1990—हरियाणा सिंचाई विभाग में अस्थायी सहायक अभियंता (सिविल) के पदों पर चयन–सरकार ने दिनांक 5 सितंबर 1990 के परिपत्र द्वारा उक्त पदों पर भर्ती के लिए सेवारत उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी - ऐसी छूट सिंचाई विभाग में उक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि से पूर्वव्यापी रूप से प्रदान की गई , हालाँकि, अपेक्षित योग्यता होने के बावजूद किसी

अन्य विभाग में सेवारत उम्मीदवारों को ऐसी छूट नहीं दी जाती है, हरियाणा लोक सेवा आयोग सेवारत उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट से सहमत नहीं है - सरकार द्वारा दी गई आयु में छूट के मद्देनजर आयोग द्वारा शुद्धिपत्र जारी करने से इंकार करना अनुचित है- नियमों में ढील देने के सरकार के निर्णय को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने का सवाल ही नहीं उठता

क्योंकि प्रस्तावित शुद्धिपत्र में "याचिका-शब्द और वाक्यांश उपयुक्तता और पात्रता को परिभाषित और प्रतिष्ठित करने के लिए एक निश्चित नई तारीख होगी - सरकार द्वारा अकेले छूट विभाग को प्रतिबंधित करना उचित नहीं है - सभी सरकारी विभागों के सेवारत उम्मीदवार, यदि पात्र हैं, तो एक ही पायदान पर खड़े होंगे - आयोग को एक शुद्धिपत्र जारी करने और चयन प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं - आयोग द्वारा राज्य सरकार के निर्णय और पदों पर भर्ती के लिए पात्रता और योग्यता के संस्करणों का पालन करने से इनकार करना उचित नहीं है।

(के.के. श्रीवास्तव, जे.)

यह माना गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 (3) के तहत परिकल्पित राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह की प्रकृति केवल निर्देशिका है, आयु में छूट देने का निर्णय लेने से पहले प्रतिवादी-आयोग से परामर्श करने में राज्य सरकार की विफलता सेवारत उम्मीदवारों के लिए सीमा को अमान्य और अवैध नहीं बनाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा सेवाकालीन अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दिए जाने के बाद प्रतिवादी-आयोग के पास शुद्धिपत्र जारी करने से इनकार करने का कानून में कोई औचित्य नहीं है।

(पैरा 23)

इसके अलावा, यह माना गया कि जहां तक सेवारत उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट का सवाल है, इसे उन उम्मीदवारों के संबंध में लागू किया जाना चाहिए और उन पर विचार किया जाना चाहिए जिन्होंने पहले आवेदन किया था या प्रतिवादी आयोग द्वारा शुद्धिपत्र जारी करने के अनुसरण में आवेदन करेंगे। इस तरह के शुद्धिपत्र के जारी होने का प्रभाव ऐसे उम्मीदवारों के आवेदनों को लाना होगा जिन्होंने शुद्धिपत्र जारी होने से पहले और विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद आवेदन किया था, शुद्धिपत्र के तहत आवेदन

प्राप्त करने की तारीख के भीतर। उस दृष्टि से, याचिकाकर्ता के लिए प्रतिवादी-सरकार द्वारा आयु में छूट को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(पैरा 24)

इसके अलावा, कानून का स्थापित दृष्टिकोण यह है कि किसी उम्मीदवार की पात्रता को विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि पर देखा और आंका जाना चाहिए। मौजूदा मामले में, यदि राज्य सरकार द्वारा मांगे गए अनुसार प्रतिवादी आयोग द्वारा शुद्धिपत्र जारी किया जाता है, तो शुद्धिपत्र के तहत आवेदन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि उन याचिकाकर्ताओं की पात्रता का निर्णय करने की तारीख होगी जिनके आवेदनों पर विचार किया जाएगा। शुद्धिपत्र के तहत हो इसलिए नेतृत्व किया जाता है। उस मामले में प्रतिवादी-आयोग के पास कोई वैध शिकायत नहीं हो सकती है।

(पैरा 25)

इसके अलावा, यह माना गया कि किसी विशेष पद पर भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा का मानदंड एक उम्मीदवार की पात्रता की शर्त है जिसकी उपयुक्तता पर प्रतिवादी आयोग द्वारा विचार किया जाना है। यदि कोई विशेष उम्मीदवार आयु की पात्रता की शर्त को पूरा नहीं करता है, तो पद के लिए उसकी उपयुक्तता पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठेगा क्योंकि आयोग के पास लिखित परीक्षा में ऐसे उम्मीदवार की उपयुक्तता का आकलन करने का कोई अवसर नहीं होगा और/या व्यक्तित्व परीक्षण. इसलिए, भर्ती परीक्षा, चाहे लिखित हो या मौखिक, में प्रवेश पाने के लिए उम्मीदवार के लिए उम्र से संबंधित शर्त एक आवश्यक मानदंड है। कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम, खंड XXIX में, 'पात्रता' शब्द को कार्यालय में चुने जाने की योग्यता के बजाय पद धारण करने की योग्यता के संदर्भ में माना गया है; और इस अर्थ में, इसे धारण करने की क्षमता के साथ-साथ किसी पद पर निर्वाचित होने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। उक्त कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम में, 'योग्य' शब्द जो लैटिन शब्द एलिगेरे से लिया गया है, मुख्य रूप से चुने जाने के विचार को व्यक्त करता है और इसे चुने जाने में सक्षम अर्थ के रूप में

परिभाषित किया गया है; चुने जाने योग्य या चुना जाना उचित है या कानूनी रूप से योग्य. कुछ परिस्थितियों में, 'योग्य' शब्द को "और योग्य" शीर्षक के समकक्ष या पर्यायवाची माना गया है; और अन्य परिस्थितियों में, इसे "आवश्यक" और "योग्य" से अलग किया गया है। जहां तक 'उपयुक्त' शब्द का सवाल है, इसे कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम, खंड LXXXIII में समझाया गया है, जिसका अर्थ है, 'ऐसा कहा जाता है कि इसमें जिस चीज़ के बारे में बात की गई है, उसके उपयोग और उद्देश्य का संदर्भ है, और किसी चीज़ को "उपयुक्त" बनाने के लिए, जैसा कि उस शब्द को आम तौर पर समझा जाता है, उसे उस लक्ष्य के लिए उपयुक्त और उपयुक्त होना चाहिए जिसके लिए उसे समर्पित किया जाना है। इसे आगे उपयुक्त, फिट, उपयुक्त अर्थ के रूप में परिभाषित किया गया है; और उचित. शब्द "उपयुक्तता" को कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम, वॉल्यूम LXXXIII में किसी भी अर्थ में उपयुक्त होने की स्थिति या गुणवत्ता के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उपयुक्तता को अंतिम परिणाम के लिए देखा जाना चाहिए, अर्थात, क्या उम्मीदवार अपनी योग्यता और व्यक्तित्व आदि के आधार पर विज्ञापित पदों पर

नियुक्ति के लिए उपयुक्त है, जबकि पात्रता इस तरह की शर्त से पहले एक शर्त है। उम्मीदवार को उपयुक्तता की परीक्षा में रखा जाता है। इसलिए, हम पाते हैं कि आयु का मानदंड पात्रता की शर्त है न कि उपयुक्तता और उस दृष्टि से, यह प्रतिवादी सरकार पर है कि वह आयु सीमा सहित पात्रता के मानदंड तय करे।

(पैरा 26)

इसके अलावा, यह माना गया कि सेवारत उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट पर प्रतिवादी-राज्य सरकार के निर्णय के अनुसरण में एक शुद्धिपत्र जारी करना, अन्य उम्मीदवारों का अधिकार, जिन्होंने विज्ञापन के तहत पहले ही आवेदन कर दिया था और उनमें से कुछ, जैसा कि कहा गया है प्रतिवादी-आयोग का लिखित बयान, पद के लिए साक्षात्कार लिया गया था, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उन पर उन सेवाकालीन उम्मीदवारों के साथ विचार किया जाएगा जिन्हें शुद्धिपत्र के तहत आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी या जिनके आवेदन को माना जाएगा। शुद्धिपत्र के अनुसार स्थानांतरित किया जाएगा और फिर सभी उम्मीदवारों के साक्षात्कार के बाद, चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी। इस प्रकार,

प्रतिवादी-आयोग के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है और कुछ उम्मीदवारों का साक्षात्कार पहले ही हो चुका है। जहां तक चयन प्रक्रिया शुरू होने का संबंध है, हम यह देखना चाहेंगे कि शुद्धिपत्र जारी होने से उसके तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उस दृष्टि से, प्रतिवादी-आयोग के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि प्रतिवादी-सरकार चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता मानदंड को नहीं बदल सकती है।

(पैरा 27)

इसके अलावा, यह माना गया कि प्रतिवादी आयोग को विज्ञापित पदों के लिए आयु सीमा में पांच साल की छूट के बाद सेवारत उम्मीदवारों को सक्षम करने के लिए एक शुद्धिपत्र जारी करना होगा, ऐसे सभी सेवारत उम्मीदवारों को अन्य विभागों में अनुमति देना उचित होगा। हरियाणा राज्य के सिंचाई विभाग के सेवारत उम्मीदवारों के अलावा, जिनके पास शुद्धिपत्र के तहत आवेदन करने के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं।

विद्वान वकील ने यह रुख अपनाया कि राज्य सरकार की कार्रवाई ने केवल सिंचाई विभाग के सेवारत उम्मीदवारों को आयु में छूट देकर हरियाणा राज्य के तहत अन्य विभागों के सेवारत कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया है। हम इस मामले के इस पहलू में प्रवेश करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं क्योंकि अन्य विभाग से ऐसा कोई सेवाकालीन उम्मीदवार हमारे सामने नहीं है।

(पैरा 27 एवं 32)

इसके अलावा, यह माना गया कि जहां नियम राज्य सरकार को किसी व्यक्ति से संबंधित किसी विशेष मामले में कठिनाई को दूर करने का आदेश जारी करने का अधिकार देता है, यह निश्चित रूप से राज्य सरकार को एक ही विभाग में समान रूप से स्थित सभी व्यक्तियों के संबंध में कार्य करने का अधिकार देता है और परिणामस्वरूप, आयु में छूट के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय को अनुचित, अन्यायपूर्ण और नियम 22 के विपरीत नहीं माना जा सकता है। राज्य सरकार का निर्णय, जैसा कि विस्तृत पत्र अनुलग्नक पी-4 में बताया गया है, पूरी तरह से कानूनी, उचित है, और नियमों

के नियम 22 के प्रावधानों के अनुसार है और प्रतिवादी-आयोग के रुख में कोई दम नहीं है।

(पैरा 30)

इसके अलावा, यह माना गया कि सरकार को चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले नियम में संशोधन करने या आयु सीमा सहित पात्रता शर्तों में ढील देने का अधिकार है। यह भी विवादित नहीं है कि सरकार के आदेश पर पदों के संबंध में विज्ञापन जारी होने के बाद चयन प्रक्रिया शुरू होती है। हालाँकि, मौजूदा मामले में, आयोग से नियमों के नियम 22 के तहत आयु सीमा में छूट देकर एक शुद्धिपत्र जारी करने का अनुरोध किया गया था और सरकार के साथ मुख्य विचार यह था कि यह अपेक्षित योग्यता रखने वाले सेवारत उम्मीदवारों के करियर को बेहतर बनाने का मौका देगा। क्लास-I पद के लिए और जिन्हें आयु सीमा के कारण वंचित कर दिया गया था। आयोग का रुख न्यायसंगत और उचित नहीं है क्योंकि आयोग उन उम्मीदवारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिन्होंने पहले ही आवेदन कर दिया है, 16 नवंबर 1994 के पत्र के माध्यम से अनुरोध के अनुसरण में एक शुद्धिपत्र जारी कर

सकता है और इससे याचिकाकर्ताओं को भी मदद मिलेगी। विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करने के लिए सिंचाई विभाग के अन्य सेवारत उम्मीदवारों की तरह।

(पैरा 31)

याचिकाकर्ता के वकील आर.के. मलिक।

दीपक सिब्बल, डी.ए.जी., एचआर. प्रतिवादी संख्या 1 के लिए।

राजीव आत्मा राम, वकील, प्रतिवादी नंबर 2 के लिए।

निर्णय

के.के.श्रीवास्तव, जे.

(1) इन दो सिविल रिट याचिकाओं (सीडब्ल्यूपी नंबर 7810787 और जेसी 12035, दोनों 1995) का निपटारा 28 अगस्त 1995 को निम्नलिखित आदेश के तहत वीआईएस द्वारा किया गया: -

1995 का सीडब्ल्यूपी नंबर 10787

1. प्रतिवादी-आयोग समाचार पत्र में 14 जनवरी 1995 के विज्ञापन के लिए एक शुद्धिपत्र जारी करेगा जिसके द्वारा सिंचाई विभाग (हरियाणा) में सहायक अभियंता (सिविल) के 36 पदों को भरने के लिए आवेदन जारी किए गए थे, केवल सेवारत उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए हरियाणा सरकार के सभी विभागों से, जिनकी आयु, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के मामले में, 40 वर्ष से अधिक नहीं थी (अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के मामले में 45 वर्ष) 14 फरवरी 1995 तक, जो कि 14 जनवरी 1995 के विज्ञापन के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि थी।
2. वे सेवारत उम्मीदवार जिन्होंने 14 जनवरी 1995 के पूर्व विज्ञापन के जवाब में आवेदन किया होगा और ऊपर उल्लिखित आयु सीमा के भीतर हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके आवेदनों पर इन निर्देशों के अनुसार जारी किए जाने वाले शुद्धिपत्र के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. 14 जनवरी 1995 के विज्ञापन के जवाब में जिन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ होगा, उनके परिणाम को शेष अभ्यर्थियों के साथ ही अंतिम रूप दिया जाएगा। जिनका 14 जनवरी 1995 के विज्ञापन के जवाब में साक्षात्कार होना बाकी है और जिनका इन निर्देशों के अनुसार शुद्धिपत्र जारी होने के बाद साक्षात्कार लिया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार पहले ही हो चुका है, उन्हें दोबारा साक्षात्कार देने की आवश्यकता नहीं है।

सीडब्ल्यूपी संख्या 12036/1995

1. प्रतिवादी-आयोग विज्ञापन संख्या 5 के रूप में एक शुद्धिपत्र जारी करेगा जिसके माध्यम से पी.डब्ल्यू.डी (सिंचाई शाखा) में सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल) के 22 पद विज्ञापित किए गए थे, जिसके लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी 1994 थी (4 मार्च 1994) हरियाणा सिंचाई विभाग के सेवारत उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए जिनकी जन्मतिथि 1 अगस्त 1953 या उसके बाद है।

2. सिंचाई विभाग के वे सेवारत अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन किया हो, लेकिन ऊपर उल्लिखित आयु सीमा के भीतर नहीं हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके आवेदनों पर इन निर्देशों के अनुसार जारी किए जाने वाले शुद्धिपत्र के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. हरियाणा लोक सेवा आयोग 3 सितंबर 1995 के बाद से आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा को आगे बढ़ाने के लिए खुला होगा, लेकिन, यदि आयोग के अनुसार, परीक्षा को स्थगित करना समीचीन होगा, तो वह ऐसा कर सकता है। यदि उन अभ्यर्थियों की प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है जिन्होंने 3 सितंबर 1995 से पहले ही आवेदन कर दिया है फिर उन आवेदकों के लिए एक और प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी जिनके आवेदनों पर दिशानिर्देशों के अनुसार जारी किए गए शुद्धिपत्र के जवाब में विचार किया जाएगा और यदि परीक्षा स्थगित कर दी जाती है तो तारीख इस तरह से तय की जानी चाहिए ताकि सक्षम हो सके। शुद्धिपत्र के जवाब में

आवेदन करने वाले आवेदकों को भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना होगा। किसी भी स्थिति में सभी उम्मीदवारों द्वारा प्रतियोगी परीक्षा देने के बाद मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

इस आदेश की एक प्रति, न्यायालय सचिव द्वारा सत्यापित, अनुपालन के लिए आयोग के वकील श्री राजीव आत्मा राम को दी जाए।

(2) हमने उपरोक्त आदेश के कारणों को सुरक्षित रखा था। अब हम अपने उपरोक्त आदेश के कारणों को रिकॉर्ड करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

(3) 1995 की सिविल रिट याचिका संख्या 10787 में, याचिकाकर्ता कुलदीप सिंह और अन्य अस्थायी सहायक अभियंता (सिविल) के छत्तीस पदों के लिए सेवारत उम्मीदवार हैं, जिन्हें प्रतिवादी संख्या 2 हरियाणा लोक सेवा द्वारा विज्ञापित किया गया था।

आयोग (संक्षेप में, आयोग), - 14 जनवरी 1995 को दैनिक समाचार पत्र "द ट्रिब्यून" में छपे विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापन के प्रासंगिक उद्धरण की एक सच्ची प्रति अनुलग्नक पीआई के रूप में संलग्न की गई है। उक्त विज्ञापन में सामान्य उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 20-35 वर्ष निर्धारित की गई है। हरियाणा इंजीनियर्स सेवा के नियम 8 के तहत, श्रेणी II, पी.डब्ल्यू.डी. (सिंचाई शाखा) नियम, 1970 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित)। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा बीस से सत्ताईस वर्ष निर्धारित की गई है। राज्य सरकार ने ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर पैंतीस वर्ष कर दिया, - हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 5 सितंबर, 1990 को जारी पत्र के माध्यम से, जिसकी एक प्रति अनुलग्नक पी 3 है। ऊपरी आयु सीमा निम्नलिखित शर्तों के अधीन बढ़ाई गई:-

"(ए) राजपत्रित और गैर-राजपत्रित सेवाओं या पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट के संबंध में मौजूदा निर्देश लागू रहेंगे।

(बी) हरियाणा सरकार के परिपत्र पत्र संख्या 4710-5जीएस-70/18998, दिनांक 15 जुलाई 1970 में निहित पूर्व सैनिकों के संबंध में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट पहले की तरह जारी रहेगी। दूसरे शब्दों में, इस श्रेणी के उम्मीदवारों को 35 वर्ष की आयु और तीन वर्ष की निरंतर सैन्य सेवा तक भर्ती किया जा सकता है; और

(सी) यदि कुछ सेवा नियमों में, विशेष आधारों पर या कुछ परिस्थितियों में 35 वर्ष से अधिक की ऊपरी आयु सीमा स्वीकार्य है, तो वे प्रावधान लागू रहेंगे।

(4) राज्य सरकार ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए ऊपरी आयु बढ़ाने का निर्णय लिया। यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि उक्त छत्तीस पदों के लिए विज्ञापन-अनुलग्नक पीआई के बाद दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। "द ट्रिब्यून", दिनांक 14 जनवरी, 1995, वित्तीय आयुक्त और सचिव, हरियाणा सरकार, सिंचाई और बिजली विभाग - ने 30 मार्च, 1995 के पत्र के माध्यम से आयोग के सचिव और अन्य को सरकार के निर्णय के बारे में सूचित किया। सिंचाई विभाग में एचएसई

क्लास आईटी के पद पर आवेदन करने के लिए उन अधिकारियों को ऊपरी आयु सीमा में पांच साल की छूट दी गई है जो सिंचाई विभाग में सेवा में थे। उक्त निर्णय नियम, 1970 के नियम 8 (सी) के प्रावधानों के अनुसार लिया गया था, जो इस प्रकार है: -

"8. सीधी नियुक्तियाँ :

(1) सीधी नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की आयु आयोग को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से अगले अगस्त के पहले दिन या उससे पहले बीस वर्ष से कम और सत्ताईस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए: -

बशर्ते कि:-

(ए)

(बी)

(सी) अपेक्षित योग्यता रखने वाले उन उम्मीदवारों की आसानी के लिए जो पहले से ही राज्य सरकार की सेवा में हैं, ऊपरी आयु सीमा पैंतीस वर्ष होगी, और वे सत्ताईस वर्ष की आयु तक प्राप्त किसी भी अवसर के अलावा इस नियम के तहत

आयोजित परीक्षा में केवल तीन अवसरों का लाभ उठाने के हकदार होंगे।

पत्र की एक प्रति रिकॉर्ड पर रखी गई है और यह अनुलग्नक पी4 है। याचिकाकर्ता कुलदीप सिंह और अन्य जो सिंचाई विभाग में कार्यरत थे, ने विज्ञापन, अनुलग्नक पीआई के अनुसार अस्थायी सहायक अभियंता (सिविल) के उक्त छत्तीस पदों के लिए आवेदन किया था। प्रतिवादी संख्या 2-आयोग ने, हालांकि, याचिकाकर्ताओं के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वे अधिकतम आयु सीमा पैंतीस वर्ष पार कर चुके थे। आयोग के सचिव राज्य सरकार के उक्त निर्णय से सहमत नहीं थे और अपने पत्र दिनांक 10 जुलाई 1995 में, प्रतिलिपि अनुलग्नक पी 5, उक्त वित्तीय आयुक्त और सचिव को उनके पत्र दिनांक 30 मार्च 1905 के संदर्भ में संबोधित किया। आयोग के रुख से अवगत कराया कि नियम, 1970 के नियम 8 (सी) के तहत अधिकतम आयु में छूट केवल पैंतीस वर्ष तक दी जा सकती है, जो कि 14 जनवरी, 1995 के विज्ञापन में पहले ही प्रदान की जा चुकी है। उत्तर पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि इस स्तर पर जब राज्य सरकार से

प्राप्त मांग के अनुसार पद पहले ही विज्ञापित किए जा चुके थे, दिनांक 26 सितंबर, 1994 के पत्र के माध्यम से ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की और छूट दी गई थी। अपेक्षित योग्यता रखने वाले अन्य विभिन्न विभागों के सभी उम्मीदवारों के बजाय केवल उन अधिकारियों को जो सिंचाई विभाग की सेवा में थे और पहले से ही राज्य सरकार की सेवा में थे, उचित नहीं था। आयोग के सचिव से जवाब प्राप्त करने के बाद, वित्तीय आयुक्त और सचिव, हरियाणा सरकार, सिंचाई और बिजली विभाग ने आयोग के सचिव को 20 जुलाई, 1995 को फिर से एक पत्र भेजा, जिसमें बताया गया कि निहित प्रावधानों के अनुसार हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा इस संबंध में जारी किए गए निर्देशों के साथ पठित नियम, 1970 के नियम 8(सी) में, ज्ञापन संख्या 3/1/90/ आई सीएस III, दिनांक 5 सितंबर, 1990 के तहत, सरकार ने लिया था सिंचाई विभाग में एचएसएफ वर्ग II के पदों के लिए आवेदन करने के लिए उन अधिकारियों को ऊपरी आयु सीमा में पांच साल की छूट देने का निर्णय जो पहले से ही हरियाणा राज्य सरकार की सेवा में थे। सचिव से इस मामले पर पुनर्विचार करने और ऐसे सभी उम्मीदवारों

के मामलों को लेने का अनुरोध किया गया, जिन्होंने चालीस वर्ष की आयु के भीतर आवेदन किया था। इस पत्र की एक प्रति रिकॉर्ड पर रखी गई है और यह अनुबंध पी6 है। हालाँकि, आयोग विज्ञापित पदों पर सिंचाई विभाग के सेवारत कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पाँच वर्ष की और छूट देने पर सहमत नहीं हुआ और परिणामस्वरूप, उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ताओं के आवेदन खारिज कर दिए गए। इन याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 2 की उक्त कार्रवाई को चुनौती दी है।

(5) याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि प्रतिवादी संख्या 2- आयोग उपरोक्त पदों के लिए अधिकतम आयु में पांच वर्ष की छूट के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का पालन करने से इनकार नहीं कर सकता है और प्रतिवादी की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। प्रतिवादी संख्या 2-आयोग राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार उपयुक्त उम्मीदवारों की भर्ती के लिए प्रतिवादी संख्या 1, राज्य सरकार का एक एजेंट है।

(6) उत्तरदाताओं को मोशन का नोटिस जारी किया गया था।

(7) प्रतिवादी संख्या 1 ने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए एक अलग लिखित बयान दायर किया कि राज्य ने विज्ञापित पदों पर आवेदन करने के लिए सिंचाई विभाग के सेवारत उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में पांच साल की छूट के संबंध में आयोग को पहले ही अपने निर्णय से अवगत करा दिया था और आयोग से इस आशय का शुद्धिपत्र जारी करने का अनुरोध किया था। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा यह तर्क दिया गया कि आयोग ने सेवाकालीन उम्मीदवारों के लिए आयु में पांच वर्ष की छूट के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय की विधिवत जानकारी दी। आयोग का दृष्टिकोण प्राप्त होने के बाद भी प्रतिवादी संख्या 1 का रुख यह है कि वह नियम, 1970 के नियम 21 के तहत किसी भी प्रावधान को शिथिल करने के लिए सक्षम और सशक्त है। सरकार ने उन सेवाकालीन उम्मीदवारों के करियर की बेहतरी को ध्यान में रखा है, जिनके पास विज्ञापित पदों के लिए अपेक्षित योग्यताएं थीं, लेकिन पैंतीस वर्ष की आयु पार कर चुके थे। सरकार ने यह भी ध्यान में रखा है कि सेवारत उम्मीदवारों के पास पर्याप्त अनुभव हो। इन सेवारत उम्मीदवारों ने सरकार की अनुमति से उच्च योग्यता

और अनुभव प्राप्त कर लिया था और इंजीनियरिंग में डिग्री की उच्च योग्यता प्राप्त करने के बाद पांच साल तक विभाग की सेवा करने के लिए एक बांड पर हस्ताक्षर भी किए थे। विज्ञापित पदों पर चयन करने के लिए आयोग के पास सरकारी सेवा में लंबा अनुभव रखने वाले पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार भी होंगे। यह भी बताया गया है कि पहले आयोग पैंतीस वर्ष की ऊपरी आयु सीमा को स्वीकार करने पर सहमत हुआ था, हालांकि नियम, 1970 का नियम 8(सी) सत्ताईस वर्ष की अधिकतम आयु प्रदान करता है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने प्रार्थना की कि प्रतिवादी क्रमांक 2 आयोग को शुद्धिपत्र जारी करने और सेवारत अभ्यर्थियों को उक्त विज्ञापित पदों पर भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट का लाभ देने का निर्देश दिया जाए।

(8) प्रतिवादी संख्या 2-आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क देते हुए एक अलग लिखित बयान दायर किया कि उक्त पदों के लिए विज्ञापन दैनिक समाचार पत्र "द ट्रिब्यून" में 14 जनवरी 1995 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी/1 मार्च 1995 थी। उक्त

विज्ञापन के अनुसरण में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। प्रतिवादी नंबर 2 ने तर्क दिया कि अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि पात्रता को आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि पर देखा जाना चाहिए। प्रतिवादी संख्या 1, राज्य सरकार ने 30 मार्च 1995 को एक पत्र जारी कर आयु में चालीस वर्ष तक की छूट प्रदान की। छूट को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि यह आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि पर पात्रता की अवधारणा को अस्वीकार कर देगा। विज्ञापन में निर्धारित आयु सीमा के मद्देनजर याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से विज्ञापित पदों के लिए विचार किए जाने के लिए अयोग्य थे और, इसलिए, अब उन्हें विज्ञापन के अनुसार आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद आयु में छूट देकर नियुक्ति पर विचार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। प्रतिवादी संख्या 2 ने बताया कि एक बार विज्ञापन जारी करके चयन प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद, सरकार नियमों में बदलाव करने में सक्षम नहीं थी। आगे तर्क यह था कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक कार्यकारी आदेश का केवल संभावित संचालन हो सकता है। प्रतिवादी संख्या 1, दिनांक 30

मार्च, 1995 के आयु में छूट देने वाले कार्यकारी आदेश का केवल संभावित संचालन हो सकता है। प्रतिवादी नंबर 2 का तर्क यह है कि याचिकाकर्ता केवल उसके बाद उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के संबंध में 30 मार्च, 1995 के आदेश के आधार पर आयु में चालीस वर्ष तक की छूट का दावा कर सकते हैं। प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रस्तुत किया कि आयु में छूट, अनुबंध पी 4 के अनुसार, केवल सिंचाई विभाग में सेवारत उम्मीदवारों को दी गई थी और अपेक्षित योग्यता होने के बावजूद किसी अन्य विभाग में सेवारत अधिकारियों को यह छूट नहीं दी गई थी। यहां तक कि 1981 से रिक्त पड़े पदों के संबंध में भी तथ्यात्मक स्थिति को प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा नकार दिया गया। प्रतिवादी आयोग के तर्क के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के अनुसार, यह अनिवार्य है कि सिविल सेवा/सिविल पदों पर भर्ती से संबंधित सभी मामलों पर और नियुक्तियां करने में अपनाए जाने वाले सिद्धांतों के लिए आयोग से परामर्श किया जाए और सिविल सेवा/सिविल पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता से संबंधित सभी मामलों पर। यह आरोप लगाया गया है कि सिंचाई विभाग के

सेवारत उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु में पांच वर्ष की छूट के संबंध में निर्णय की सूचना देने वाले पत्र, अनुबंध पी 4 को जारी करने से पहले आयोग से परामर्श नहीं किया गया था।

(9) अन्य सिविल रिट याचिका संख्या 12036/1995 (अश्वनी नरूला और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) में, याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा लोक सेवा आयोग के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें एचएसई वर्ग I पदों के लिए सेवारत उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट पर सहमति नहीं दी गई थी, जो कि अनुबंध पीआई के माध्यम से विज्ञापित किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी-आयोग को एक शुद्धिपत्र जारी करने का निर्देश जारी करने की प्रार्थना की है ताकि ऐसे सभी सेवारत उम्मीदवार जिन्हें राज्य सरकार-प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आयु में छूट दी गई है, उन्हें उपरोक्त पदों के लिए विचार किया जा सके। इस रिट याचिका को दायर करने के लिए प्रासंगिक तथ्यों को संक्षेप में दोहराया जा सकता है।

(10) प्रतिवादी नंबर 2-आयोग ने 29 जनवरी 1994 को समाचार पत्र में विज्ञापन संख्या 5 के माध्यम से बाईस पदों का विज्ञापन

दिया। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी, 4 मार्च 1994 थी। आयु के संबंध में पात्रता 1 अगस्त 1993 मानी जानी थी। उक्त तिथि को आयु संबंधी पात्रता पच्चीस-पैंतीस वर्ष के बीच थी। सभी राज्यों की अनुसूचित जातियों/जनजातियों और अकेले हरियाणा के पिछड़े वर्गों के लिए आयु में चालीस वर्ष तक की छूट थी। ऊपरी आयु सीमा में छूट उन उम्मीदवारों के लिए भी स्वीकार्य थी जिन्होंने 16 मार्च 1993 के आदेश के आलोक में मई 1985 में जारी विज्ञापन के जवाब में आवेदन किया था। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति याचिका संख्या 3465-69/1988 (परवीन जिंदल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) में निहित है। अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट दी गई थी जो इस मामले में निर्णय लेने के उद्देश्य से प्रासंगिक नहीं है। याचिकाकर्ता संख्या 1 और 4, अर्थात्, अश्वनी नारनिया, उप मंडल अधिकारी सतर्कता, नहर कॉलोनी, यमुनानगर, और धर्मबीर रतवाल, कनिष्ठ अभियंता, निर्माण प्रभाग संख्या 6, नहर कॉलोनी, हिसार ने उपरोक्त पदों के लिए आवेदन किया था।

(11) प्रतिवादी संख्या 2-आयोग ने शुद्धिपत्र जारी किया और उपरोक्त विज्ञापन संख्या 5 में लोक निर्माण विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) में बारह और पद भर्ती के लिए शामिल किए गए। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 26 सितंबर, 1994 तक बढ़ा दी गई थी, और आयु के संबंध में पात्रता 1 अगस्त, 1994 को देखी जानी थी। याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादी-आयोग ने याचिकाकर्ताओं 1 और 4 की उम्मीदवारी को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वे 1 अगस्त, 1993 को अधिक उम्र के हो गए थे। याचिकाकर्ताओं ने याचिकाकर्ता संख्या 4 श्री धर्मबीर के संबंध में जारी 10 मार्च 1995 के अस्वीकृति पत्र की एक सच्ची प्रति संलग्न की है और वही अनुलग्नक पी 5 है। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता संख्या 1- अश्वनी नरूला की उम्मीदवारी भी याचिकाकर्ता संख्या 4- धर्मबीर की उम्मीदवारी के समान ही खारिज कर दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क यह है कि अनुबंध पीआई के माध्यम से विज्ञापित पदों के बाद, याचिकाकर्ता नंबर 1 ने अन्य उम्मीदवारों के साथ एक सिविल रिट याचिका दायर की थी, जो 1994 की सी.डब्ल्यू.पी संख्या 2617

(एस.पी. गोवाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य, और अन्य) थी जो 18 अप्रैल 1994 को इस न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया उसका निस्तारण इस टिप्पणी के साथ किया गया कि यदि याचिकाकर्ता आयु में छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन करते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा और उचित आदेश पारित किए जाएंगे। परिणामस्वरूप, हरियाणा लोक सेवा द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से एचएसएस क्लास- I सेवा में सीधी भर्ती के लिए विभागीय अधिकारियों के लिए आयु में छूट के संबंध में 27 मई, 1994 को वित्तीय आयुक्त और सचिव, हरियाणा सरकार, सिंचाई विभाग, चंडीगढ़ को एक अभ्यावेदन दिया गया था। प्रतिवादी-राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि आयु सीमा में छूट केवल सिंचाई विभाग में कार्यरत उन कर्मचारियों को दी जाएगी, जिनकी जन्म तिथि 1 अगस्त 1953 या उसके बाद है। राज्य सरकार के इस निर्णय के बारे में सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग को 16 नवंबर, 1994 के पत्र के माध्यम से विधिवत सूचित किया गया था, जिसकी एक सच्ची प्रति रिट याचिका के साथ अनुबंध पी 4 के रूप में संलग्न की गई है। प्रतिवादी राज्य के ऊर्जा

और सिंचाई विभाग के सचिव ने आयोग के सचिव से अनुरोध किया कि सरकार के उपरोक्त निर्णय के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। जैसा कि इस निर्णय के पहले भाग में उल्लेख किया गया है, प्रतिवादी आयोग सेवाकालीन उम्मीदवारों को आयु में छूट के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय से सहमत नहीं था, और याचिकाकर्ता संख्या 4 की उम्मीदवारी को अधिक उम्र होने के आधार पर खारिज कर दिया गया था- पत्र, दिनांक 10 मार्च, 1995, अनुबंध पी5।

(12) याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया है कि प्रतिवादी आयोग ने शुद्धिपत्र जारी करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और विज्ञापित पदों के लिए 3 सितम्बर 1995 से 5 सितम्बर 1995 तक लिखित परीक्षा आयोजित करने के संबंध में समय सारणी जारी की थी, जो 31 जुलाई 1995 के दैनिक समाचार पत्र "द ट्रिब्यून" में प्रकाशित हुई थी, जिसकी सत्य प्रतिलिपि अनुलग्नक P6 के रूप में संलग्न किया गया है। प्रतिवादी-राज्य द्वारा अनुलग्नक पी4 के माध्यम से किए गए अनुरोध के बावजूद शुद्धिपत्र जारी न करने की प्रतिवादी आयोग की कार्रवाई अवैध,

अन्यायपूर्ण, अनुचित, असंवैधानिक और मनमाना है और इसे रद्द किया जा सकता है। जो पद विज्ञापित किए गए थे वे वर्ष 1979 से खाली पड़े थे और एक कारण से उत्तरदाता पदों का विज्ञापन नहीं कर सके, जिसके परिणामस्वरूप सेवारत उम्मीदवार अधिक उम्र के हो गए। राज्य सरकार ने ऐसे सेवाकालीन अभ्यर्थियों को होने वाली कठिनाई पर विचार किया और अनुबंध पी4 के अनुसार ऊपर उल्लिखित निर्णय लिया। प्रतिवादी-आयोग राज्य सरकार के निर्णय को नजरअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि योग्यता निर्धारित करना और आयु सीमा सहित उम्मीदवारों की पात्रता के नियम और शर्तें निर्धारित करना राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। डॉ. सुरिंदर नाथ जोशी बनाम पंजाब लोक सेवा आयोग और अन्य (1) मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के फैसले का संदर्भ दिया गया है जिसमें इस न्यायालय ने माना कि राज्य लोक सेवा आयोग को आयु में छूट के लिए सरकार के निर्णय का पालन करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और उत्तरदाताओं को पद को फिर से विज्ञापित करने के लिए निर्देश जारी किया गया था। याचिका में कहा गया

है कि याचिकाकर्ताओं का मामला पूरी तरह से इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के उपरोक्त फैसले से कवर होता है।

(13) यह भी तर्क दिया गया कि समान स्थिति वाले कुछ कर्मचारियों ने इसी शिकायत के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और उन याचिकाकर्ताओं पर विचार किया जा रहा था जिनकी उम्र याचिकाकर्ताओं की उम्र से भी अधिक थी क्योंकि उनके मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आयु में छूट दी थी। रिट याचिका में कुछ व्यक्तियों का नाम भी दिया गया था, जिनके नाम पर उक्त पदों के लिए विचार किया जा रहा था:

(1)सतनाम सिंह. एस.डी.ओ. 10 अप्रैल, 1952

(2) गंगा राम गोयल 21 मई 1953

जन्म की तारीख

(14) संक्षेप में, याचिकाकर्ताओं की ओर से दी गई दलीलों का सार यह है कि प्रतिवादी आयोग की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है और उनके साथ गंभीर और स्पष्ट अन्याय हुआ है।

(15) उत्तरदाताओं को मोशन का नोटिस जारी किया गया था। प्रतिवादी संख्या 1-राज्य ने वित्तीय आयुक्त के विशेष कर्तव्य अधिकारी श्री आर. एस सचदेवा का संक्षिप्त उत्तर दाखिल किया और हरियाणा सरकार, सिंचाई और बिजली विभाग के सचिव ने याचिकाकर्ताओं के मामले का पर्याप्त समर्थन किया, जहां तक सेवाकालीन उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट का संबंध था। प्रतिवादी संख्या 1- राज्य ने उत्तर में कहा कि उसने प्रतिवादी-आयोग को अपना निर्णय पहले ही बता दिया था - विस्तृत पत्र दिनांक 16 नवंबर, 1994 (अनुलग्नक पी4) कि आयु सीमा में छूट उन कर्मचारियों को दी जाती है जो सेवा में थे सिंचाई विभाग और उनकी जन्मतिथि 1 अगस्त, 1953 या उसके बाद थी और आयोग से आयु में छूट के लिए तदनुसार कार्य करने का अनुरोध किया गया था।

(16) प्रतिवादी राज्य ने आगे कहा कि वह पीएसई पी.डब्ल्यू.डी (सिंचाई शाखा), वर्ग-1 नियम, 1964 के किसी भी प्रावधान को शिथिल करने के लिए नियम 22 के तहत सक्षम और सशक्त है। मामले को व्यापक रूप से देखने और उन सेवारत उम्मीदवारों को अपने करियर को बेहतर बनाने का मौका देने के लिए छूट की

अनुमति दी गई थी, जिनके पास प्रथम श्रेणी के पद के लिए अपेक्षित योग्यताएं थीं, लेकिन वे पैंतीस वर्ष की ऊपरी आयु सीमा पार कर चुके थे। ऐसे उम्मीदवारों के पास पर्याप्त अनुभव होता है और ऐसे कई अधिकारियों ने सरकार की अनुमति से सेवा में रहते हुए उच्च योग्यताएं हासिल की थीं और जिन्होंने उच्च योग्यता प्राप्त करने के बाद पांच साल तक विभाग की सेवा करने के लिए एक बांड पर हस्ताक्षर किए थे, वे उक्त पदों के लिए विचार किए जाने के अवसर के पात्र थे। इसके अलावा, प्रतिवादी-राज्य ने तर्क दिया, प्रतिवादी-आयोग के पास पर्याप्त संख्या में ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनके पास सरकारी सेवा का लंबा अनुभव होगा, यदि उन्हें पांच साल की आयु में छूट दी गई हो, जो आयोग को वर्ग-I के वरिष्ठ पदों के लिए उपयुक्त, प्रशिक्षित और बेहतर उम्मीदवारों का चयन करने और विभाग को अनुशंसा करने में सक्षम बनाएगा। यह भी तर्क दिया गया कि राज्य सरकार प्रासंगिक नियम 7(1) को शिथिल करने की अपनी शक्तियों के अंतर्गत है। प्रतिवादी संख्या 1-राज्य द्वारा यह बताया गया है कि प्रतिवादी-आयोग पैंतीस वर्ष की ऊपरी आयु सीमा

को स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ था, हालांकि प्रासंगिक नियमों के तहत, अधिकतम आयु सीमा पच्चीस वर्ष थी।

(17) प्रतिवादी-आयोग ने एक अलग लिखित याचिका दायर की और दलील दी कि यह अच्छी तरह से तय है कि पात्रता को उस संबंध में विज्ञापन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि पर देखा जाना चाहिए या आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि पर, और इस विवाद के लिए, श्रीमती रेखा चतुर्वेदी बनाम राजस्थान विश्वविद्यालय और अन्य में टिप्पणियों पर भरोसा किया गया था (2) और *डॉ. एम. वी. नायर बनाम भारत संघ और अन्य* (3) आयु सीमा में छूट देने वाला राज्य सरकार का पत्र पात्रता मानदंड के लिए निर्धारित अंतिम तिथि/आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के बाद जारी किया गया है। 16 नवंबर 1994 के पत्र (अनुलग्नक एफ 4) के माध्यम से आयोग को सूचित राज्य सरकार का यह कार्यकारी आदेश पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि/निर्धारित तिथि पर पात्रता की अवधारणा को अस्वीकार कर देगा। प्रतिवादी-आयोग का मामला यह है कि यह स्वीकृत स्थिति है

कि विज्ञापन, दिनांक 29 जनवरी, 1994/शुद्धिपत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता 1 अगस्त 1994 और/या आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि यानी 26 सितंबर 1994 को अयोग्य थे। राज्य सरकार का पत्र, अनुलग्नक पी4, याचिकाकर्ताओं को पूर्वव्यापी रूप से विज्ञापित पदों के लिए विचार किए जाने के योग्य नहीं बना सकता है। इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया कि एक बार विज्ञापन जारी करके चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद, सरकार नियमों में बदलाव करने या छूट देने में सक्षम नहीं थी। इस विवाद के समर्थन में उद्धृत प्राधिकारी *डॉ. पी. के. जायसवाल बनाम सुश्री देबी मुखर्जी और अन्य* हैं (4) *दलजीत सिंह नरूला और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य* में रिपोर्ट किए गए अधिकारियों का भी संदर्भ दिया गया था (5), और *सुखबीर सिंह बनाम मुख्य मृदा संरक्षक, पंजाब, और अन्य* (6) इस निवेदन के लिए कि आयु सीमा में छूट देने वाले सरकार के आदेश का केवल संभावित संचालन हो सकता है।

(2) जे.टी 1993 (1) एस.सी. 220.

(3) जे.टी 1993 (1) एस.सी. 255.

(4) जे.टी. 1992 (1) एस.सी. 315.

(5) 1979 (1) एस.एल.आर. 420.

(6) 1988 (1) एस.एल.आर. 447.

प्रतिवादी आयोग का रुख यह है कि प्रतिवादी-राज्य ने, दिनांक 16 नवंबर, 1994 के पत्र के माध्यम से, केवल उन कर्मचारियों को आयु सीमा में छूट दी जो सिंचाई विभाग में काम कर रहे थे और वही लाभ उन्हें नहीं दिया गया है। हरियाणा राज्य के अन्य विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए विज्ञापित पदों के लिए अपेक्षित योग्यताएं होनी चाहिए और इसके परिणामस्वरूप अन्य विभागों के ऐसे कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जाएगा और राज्य सरकार की ऐसी कार्रवाई मनमानी है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

(18) आयोग ने यह भी रुख अपनाया कि पंजाब इंजीनियर्स क्लास पी.डब्ल्यू.डी (सिंचाई शाखा) नियम, 1984 के नियम 22 के तहत, राज्य सरकार को नियमों में छूट देने का अधिकार केवल तभी है जब वह संतुष्ट हो कि इनमें से किसी का संचालन ये नियम किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई का कारण बनते हैं। दूसरी ओर, पत्र, अनुलग्नक पी 4 में निहित राज्य सरकार का उपरोक्त

निर्णय, सामान्य रूप से आयु में छूट देना और किसी विशेष मामले में कठिनाई की स्थिति में नहीं, स्पष्ट रूप से नियम 22 का उल्लंघन है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपने उत्तर में दिए गए कथन के अनुसार, यह अच्छी तरह से तय है कि एक कार्यकारी आदेश वैधानिक नियमों को खत्म नहीं कर सकता है।

(19) अंतिम विवाद रिट याचिका देर से दायर किए जाने के बारे में है और इसे कमियों के आधार पर खारिज किया जा सकता है।

(20) याचिकाकर्ताओं के व्यक्तिगत मामले के संबंध में, प्रतिवादी-आयोग ने तथ्यों के प्रति अनभिज्ञता व्यक्त की और परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं की जन्म तिथि आदि के संबंध में तथ्यों से इनकार किया। यहां तक कि वर्ष 1979 में रिक्तियों की उपलब्धता के संबंध में भी इस आधार पर इनकार कर दिया गया था कि याचिकाकर्ताओं ने कोई विवरण नहीं दिया था। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त उस संबंध में सरकार से मांग प्राप्त होने के बाद ही पदों का विज्ञापन कर सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों

पर विचार के संबंध में प्रतिवादी आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि इन उम्मीदवारों ने 1985 के विज्ञापन के अनुसरण में आवेदन किया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से याचिकाकर्ताओं के मामले में मदद नहीं मिलेगी। प्रतिवादी-आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि सरकार योग्यता और पात्रता मानदंड निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के संदर्भ में आयोग के साथ परामर्श आवश्यक था और इसे मनमाना और भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। विज्ञापित पदों के लिए नामित उम्मीदवारों, सतनाम सिंह और गंगा राम गोयल के मामलों पर केवल परवीन जिंदल के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कारण विचार किया जा रहा था, क्योंकि इन व्यक्तियों ने 1985 के विज्ञापन के अनुसरण में आवेदन किया था।

(21) दोनों रिट याचिकाओं में, विचारणीय बिंदु काफी हद तक समान हैं। दोनों मामलों में बार में की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को देखते हुए, विचाराधीन प्रश्न यह हैं कि क्या प्रतिवादी-आयोग को पात्रता, योग्यता आदि के नियमों और शर्तों के संबंध में राज्य

सरकार के निर्णय का पालन करने से इनकार करने का कानून में अधिकार है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि दोनों मामलों में राज्य सरकार के निर्णय के बारे में प्रतिवादी आयोग को समय पर सूचित किया गया था ताकि आयोग के पास शुद्धिपत्र जारी करने के लिए पर्याप्त समय हो। इस प्रस्ताव के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है कि राज्य सरकार के पास राज्य के अंतर्गत सिविल पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए आयु सीमा और योग्यता सहित पात्रता शर्तों को तय करने का विशेषाधिकार है। राज्य लोक प्रेषक आयोग विज्ञापित पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करने और नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची राज्य सरकार को भेजने के लिए राज्य की एक संवैधानिक एजेंसी है।

(22) भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह की प्रकृति *जतिंदर कुमार और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य* (7) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आई थी, सर्वोच्च न्यायालय का आधिपत्य इस प्रकार है:-

संविधान का अनुच्छेद 320 संघ या राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्यों का वर्णन करता है:-

(i) क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करना;

(ii) यदि किन्हीं दो या अधिक राज्यों द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है, तो उन सेवाओं के लिए संयुक्त भर्ती की योजनाएं तैयार करने और संचालित करने में उन राज्यों की सहायता करने के लिए, जिनके लिए विशेष योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों की आवश्यकता होती है;

(7) ए.आई.आर. 1984 एस.सी. 1850।

(iii) अनुच्छेद 320 के खंड (3) के तहत गिनाए गए मामलों पर सलाह देना; और

(iv) उन्हें निर्दिष्ट किसी भी मामले पर और किसी अन्य मामले पर सलाह देना जिसे राष्ट्रपति, या जैसा भी मामला हो, राज्य के राज्यपाल उन्हें भेज सकते हैं।

तथ्य यह है कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो परामर्श लेने पर आयोग द्वारा दी गई सलाह को स्वीकार करना अनिवार्य बनाता है, अनुच्छेद 320(3) के प्रावधानों को केवल निर्देशिका बनाता है और अनिवार्य नहीं है।'

(23) कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में, *डॉ. सुरिंदर नाथ जोशी के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ ने (सुप्रा),* यह माना गया कि पहले सिद्धांतों पर भी, एक निश्चित समय में भरे जाने वाले एक निश्चित पद की पात्रता के लिए योग्यता के बारे में निर्णय लेना नियोक्ता का काम था, सरकार किसी उचित कारण से पात्रता की आवश्यकताओं में बदलाव करना चाहती थी, यह लोक सेवा आयोग का काम नहीं है कि वह इस आधार पर ऐसे किसी भी बदलाव का प्रस्ताव (विरोध) करे कि इससे उनकी स्वतंत्रता कमज़ोर हो जाएगी। इस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष उस मामले में, पंजाब लोक सेवा आयोग के आदेश पर पंजाब राज्य ने 21 जनवरी, 1983 को एक विज्ञापन जारी करके दंत चिकित्सा में सहायक प्रोफेसर के एक पद का विज्ञापन किया था। दंत चिकित्सा में वरिष्ठ व्याख्याता के रूप में बुनियादी शैक्षणिक योग्यता और अपेक्षित

अनुभव के अलावा, विज्ञापन में यह निर्धारित किया गया कि उम्मीदवारों की आयु 23 फरवरी 1983 को चालीस वर्ष से कम होनी चाहिए। उपरोक्त पद पंजाब सरकार के दिनांक 11 मार्च 1981 के पत्र के अनुसरण में विज्ञापित किया गया था और फिर 1982 में दो बार लेकिन योग्य/उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण पद खाली रह गया। अंततः, इस पद का विज्ञापन जनवरी 1983 में किया गया, जिसके जवाब में कुछ आवेदन प्राप्त हुए जिनमें उपरोक्त याचिकाकर्ता डॉ. सुरिंदर नाथ जोशी का आवेदन भी शामिल है। इस बीच, पंजाब सरकार ने 7 दिसंबर, 1983 को एक अधिसूचना द्वारा अधिकतम आयु के संबंध में प्रासंगिक नियमों में संशोधन किया और संशोधित नियमों के अनुसार सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर पैंतालीस वर्ष कर दी गई। जनवरी 1983 में प्रकाशित मूल विज्ञापन में आयु की पात्रता शर्त के अनुसार याचिकाकर्ता, डॉ. सुरिंदर नाथ जोशी की आयु चालीस वर्ष से अधिक थी, लेकिन संशोधित नियमों के अनुसार उनकी आयु पैंतालीस वर्ष से कम थी। याचिकाकर्ता की शिकायत थी कि संशोधित नियमों के अनुसार उम्र की पात्रता होने के बावजूद, राज्य लोक सेवा आयोग

द्वारा उसके मामले पर विचार नहीं किया गया। उस मामले में, राज्य सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग से पद को फिर से विज्ञापित करने के लिए कहा था ताकि चालीस वर्ष से अधिक और पैंतालीस वर्ष तक की आयु के उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकें। हालाँकि, प्रतिवादी-आयोग ने सरकार द्वारा की गई मांग का अनुपालन नहीं किया और पंजाब लोक सेवा आयोग का रुख यह था कि प्रासंगिक नियमों में चालीस वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई थी जिसके आधार पर प्रतिवादी द्वारा पद विज्ञापित किया गया था और संशोधित नियम पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं थे, 'प्रतिवादी ने पाया प्रतिवादी संख्या 2 के विलम्बित संशोधित प्रस्ताव को स्वीकार करना अनुचित है।' उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने माना कि यदि किसी निश्चित समय पर सरकार किसी उचित कारण से पात्रता की आवश्यकताओं में बदलाव करना चाहती है, यह लोक सेवा आयोग का काम नहीं है कि वह इस आधार पर ऐसे किसी भी बदलाव का प्रस्ताव (विरोध) करे कि इससे उनकी स्वतंत्रता कमज़ोर हो जाएगी। यह भी देखा गया कि नियमों में संशोधन करने और राज्य लोक सेवा आयोग से

पद को फिर से विज्ञापित करने का अनुरोध करने में प्रतिवादी सरकार की ओर से दुर्भावना का कोई आरोप नहीं था। यह माना गया कि राज्य लोक सेवा आयोग का राज्य सरकार की मांग का अनुपालन न करना उचित नहीं था। जैसा कि पहले देखा गया है, इस मामले में प्रतिवादी-आयोग का रुख लगभग समान है। चूंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 320(3) के तहत परिकल्पित राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह की प्रकृति केवल एक निर्देशिका है, सेवाकालीन अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लेने से पहले प्रतिवादी आयोग से परामर्श करने में राज्य सरकार की विफलता इसे अमान्य और अवैध नहीं बनाएगी। प्रतिवादी-आयोग, ऊपर उद्धृत प्राधिकार के आलोक में, राज्य सरकार द्वारा सेवाकालीन उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट की अनुमति के बाद शुद्धिपत्र जारी करने से इनकार करने का कानून में कोई औचित्य नहीं है।

(24) इसलिए संबंधित विदेशी-सेवा उम्मीदवारों की आयु में छूट को उन उम्मीदवारों के संबंध में लागू और विचार किया जाना चाहिए जिन्होंने पहले आवेदन किया था या प्रतिवादी-आयोग द्वारा

शुद्धिपत्र जारी करने के अनुसरण में आवेदन करेंगे। इस तरह के शुद्धिपत्र के जारी होने का प्रभाव ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदनों को शुद्धिपत्र के तहत आवेदन प्राप्त करने की तारीख के भीतर लाना होगा, जिन्होंने शुद्धिपत्र जारी होने से पहले और विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद आवेदन किया था। उस दृष्टि से, याचिकाकर्ताओं के लिए प्रतिवादी-सरकार द्वारा आयु में छूट को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता। कार्यकारी आदेशों और नियमों में संशोधन के संभावित होने के संबंध में प्रतिवादी-आयोग के लिखित बयान में उल्लिखित कानून के प्रस्ताव के बारे में कोई विवाद नहीं है, जब तक कि संशोधित नियम को विशेष रूप से पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जाता है। (इस संदर्भ में *टी. सी. श्रीधरन पिल्लई और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य* (8), *दलजीत सिंह नरूला और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य* (9), *एम. एम. सी. फर्नांडीस, अनुभाग अधीक्षक मोर्मुगाओ पोर्ट ट्रस्ट बनाम मोर्मुगाओ पोस्ट ट्रस्ट और अन्य* (10), और *सुखबीर सिंह बनाम मुख्य मृदा संरक्षक, पंजाब और अन्य* (11) में रिपोर्ट किए गए मामले देखें।

(25) प्रतिवादी-आयोग के विद्वान वकील का तर्क यह है कि किसी उम्मीदवार की पात्रता विज्ञापन में विशेष रूप से उल्लिखित तिथि पर देखी जानी चाहिए या उस विज्ञापन के जवाब में उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि पर उसकी अनुपस्थिति देखी जानी चाहिए। श्रीमती रेखा चतुर्वेदी के मामले (सुप्रा) में शीर्ष न्यायालय ने माना कि विज्ञापन में दर्शाई गई निश्चित तारीख के अभाव में/ आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचना जिसके संदर्भ में अपेक्षित योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, योग्यताओं की जांच के लिए एकमात्र निश्चित तिथि आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी। इसी तरह का दृष्टिकोण डॉ.एम.वी नायर्स का मामला (सुप्रा) में अपनाया गया था। इस प्रकार, कानून का स्थापित दृष्टिकोण यह है कि किसी उम्मीदवार की पात्रता को विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि पर देखा और आंका जाना चाहिए। मौजूदा मामले में, यदि राज्य सरकार द्वारा मांगे गए अनुसार प्रतिवादी आयोग द्वारा शुद्धिपत्र जारी किया जाता है, तो शुद्धिपत्र के तहत आवेदन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि याचिकाकर्ताओं की पात्रता का

निर्णय करने की तारीख होगी, साथ ही जिनके आवेदन जारी किए गए शुद्धिपत्र के तहत माने जाएंगे। उस मामले में प्रतिवादी-आयोग के पास कोई वैध शिकायत नहीं हो सकती है। (26) प्रतिवादी-आयोग के विद्वान वकील ने आगे कहा कि सिविल पदों पर भर्ती के लिए आयु का मानदंड, वास्तव में, एक उम्मीदवार की उपयुक्तता है और उसकी पात्रता की शर्त नहीं है। इस तर्क के मद्देनजर, यह प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी आयोग विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता का न्याय करने के लिए संविधान के तहत एकमात्र प्राधिकरण है। हमें डर है कि यह दलील कानूनी तौर पर सही नहीं है.

(8) 1973 (1) एस.एल.आर. 478.

(9) 1979 (1) एस.एल.आर. 420.

(10) 1985 (2) एस.एल.जे. 439.

(11) 1988 (1) एस.एल.आर., 447.

किसी विशेष पद पर भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा का मानदंड उम्मीदवार की पात्रता की एक शर्त है जिसकी उपयुक्तता पर प्रतिवादी-आयोग द्वारा विचार किया जाना है। यदि कोई विशेष

उम्मीदवार पात्रता आयु की शर्त को पूरा नहीं करता है, पद के लिए उसकी उपयुक्तता पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठेगा क्योंकि आयोग के पास लिखित परीक्षा और/या व्यक्तित्व परीक्षण में ऐसे उम्मीदवार की उपयुक्तता का आकलन करने का कोई अवसर नहीं होगा। इसलिए, भर्ती परीक्षा, चाहे लिखित हो या मौखिक, में प्रवेश पाने के लिए उम्मीदवार के लिए उम्र से संबंधित शर्त एक आवश्यक मानदंड है। कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम, खंड XXIX में 'पात्रता' शब्द को कार्यालय के लिए चुने जाने की योग्यता के बजाय पद धारण करने की योग्यता के संदर्भ में माना गया है; और इस अर्थ में, इसे धारण करने की क्षमता के साथ-साथ किसी पद पर निर्वाचित होने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। उक्त कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम में, 'योग्य' शब्द जो लैटिन शब्द "एलिगेरे" से लिया गया है, मुख्य रूप से एक चुने हुए व्यक्ति के विचार को व्यक्त करता है या चुनना और चुने जाने या चुने जाने में सक्षम अर्थ के रूप में परिभाषित किया गया है; निर्वाचित होने के योग्य होने के बजाय धारण करने में सक्षम; चुने जाने योग्य या चुने जाने या कानूनी रूप से योग्य होने के लिए उचित। कुछ परिस्थितियों में, 'योग्य' शब्द को

"और योग्य" शीर्षक के समकक्ष या पर्यायवाची माना गया है; और अन्य परिस्थितियों में इसे "आवश्यक" और "योग्य" से अलग किया गया है। जहां तक 'उपयुक्त' शब्द का सवाल है, इसे कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम, खंड LXXXIII में समझाया गया है, जिसका अर्थ है, 'कहा जाता है कि इसमें जिस चीज़ की बात की गई है उसके उपयोग और उद्देश्य का संदर्भ है, और किसी चीज़ के "उपयुक्त" होने के लिए, जैसा कि उस शब्द को आमतौर पर समझा जाता है, उसे उस लक्ष्य के लिए उपयुक्त और उपयुक्त होना चाहिए जिसके लिए उसे समर्पित किया जाना है। इसे आगे उपयुक्त, फिट, उपयुक्त और उचित अर्थ के रूप में परिभाषित किया गया है। शब्द "उपयुक्तता" को कॉर्पस सेकेंडम, वॉल्यूम LXXXIII में किसी भी अर्थ में उपयुक्त होने की स्थिति या गुणवत्ता के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उपयुक्तता को अंतिम परिणाम के लिए देखा जाना चाहिए, अर्थात, क्या उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त है और व्यक्तित्व, आदि, जबकि पात्रता ऐसे उम्मीदवार को उपयुक्तता की परीक्षा में डालने से पहले एक शर्त है। इसलिए, हम पाते हैं कि आयु का

मानदंड पात्रता की शर्त है न कि उपयुक्तता और उस दृष्टि से, यह प्रतिवादी सरकार पर है कि वह आयु सीमा सहित पात्रता के मानदंड तय करे।

(27) सेवारत उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट, अन्य उम्मीदवारों के अधिकार पर प्रतिवादी-राज्य सरकार के निर्णय के अनुसरण में एक शुद्धिपत्र जारी करना, जिन्होंने विज्ञापन के तहत पहले ही आवेदन कर दिया था और उनमें से कुछ, जैसा कि लिखित में कहा गया है प्रतिवादी आयोग का बयान, पद के लिए साक्षात्कार लिया गया था, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उन पर उन सेवारत उम्मीदवारों के साथ विचार किया जाएगा जिन्हें शुद्धिपत्र के तहत आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी या जिनके आवेदन को शुद्धिपत्र के अनुसार स्थानांतरित किया गया माना जाएगा और फिर सभी उम्मीदवारों के साक्षात्कार के बाद, चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी। इस प्रकार, प्रतिवादी-आयोग के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है और कुछ उम्मीदवारों का साक्षात्कार पहले ही हो चुका है। जहां तक चयन प्रक्रिया शुरू होने का संबंध है, हम यह देखना चाहेंगे कि शुद्धिपत्र

जारी होने से उसके तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उस दृष्टि से, प्रतिवादी-आयोग के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि प्रतिवादी-सरकार चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता मानदंड को नहीं बदल सकती है। चूंकि हमारे विचार में, प्रतिवादी-आयोग को विज्ञापित पदों के लिए एक शुद्धिपत्र जारी करना होगा ताकि सेवारत उम्मीदवारों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जा सके, हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग के सेवारत उम्मीदवारों के अलावा, हरियाणा राज्य के अन्य विभागों में ऐसे सभी सेवारत उम्मीदवारों को, जिनके पास आवश्यक योग्यताएं हैं, शुद्धिपत्र के तहत आवेदन करने की अनुमति देना सही और उचित होगा।

(28) जहां तक 16 नवंबर 1994 के पत्र की वैधता और अवैधता का संबंध है, जिसकी एक प्रति 1995 की सिविल रिट याचिका संख्या 12036 की फाइल पर अनुबंध पी4 है, प्रतिवादी-राज्य सरकार ने यह कहकर अपनी कार्रवाई का बचाव किया कि उसने पंजाब इंजीनियर्स क्लास I P.W.D (सिंचाई शाखा) नियम, 1964 (शिफ्ट के लिए, नियम) के नियम 22 के तहत अपनी

शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त पत्र जारी किया है। लिखित बयान के पैरा 5 में प्रतिवादी-आयोग द्वारा उद्धृत किया गया है। इसे तत्काल संदर्भ के लिए यहां पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है:

नियम 22:

(1) जहां सरकार संतुष्ट है कि इन नियमों में से किसी के संचालन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वह आदेश द्वारा उस नियम की आवश्यकताओं को इस हद तक और ऐसी शर्तों के अधीन समाप्त या शिथिल कर सकती है, क्योंकि मामले को उचित और न्यायसंगत तरीके से निपटाने के लिए इसे आवश्यक माना जा सकता है:

बशर्ते कि यदि किसी नियम में छूट में वित्तीय निहितार्थ शामिल हैं तो एफ.डी. की पूर्व सहमति प्राप्त की जाएगी।

(2) इन नियमों में किसी बात के बावजूद, सरकार भारतीय नागरिक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को सेवा में भर्ती करने के लिए स्वतंत्र होगी। ऐसी स्थिति में, वह आयोग के परामर्श से, नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं के संबंध में और ऐसी नियुक्ति के

संबंध में उत्पन्न होने वाले अन्य सभी मामलों के संबंध में ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे।

(29) उपरोक्त नियम 22 के अवलोकन से यह पता चलेगा कि सरकार किसी भी नियम की आवश्यकता में इस हद तक ढील दे सकती है या छूट दे सकती है और किसी विशेष क्षेत्र में ऐसे नियमों के कारण होने वाली अनुचित कठिनाई को दूर करने के लिए उचित शर्तों के अधीन हो सकती है। राज्य सरकार ने आवेदक को हुई कठिनाई पर विचार किया और आयु सीमा में छूट देकर उस कठिनाई को दूर करने के लिए नियम 22 के तहत कार्रवाई की। प्रतिवादी आयोग के विद्वान वकील का तर्क था कि नियमों के नियम 22 के तहत, सरकार द्वारा छूट केवल तभी दी जा सकती है जब सरकार संतुष्ट हो कि इनमें से किसी भी नियम के संचालन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई होती है और इसलिए छूट केवल किसी विशेष मामले में कठिनाई की स्थिति में ही दी जा सकती है। दूसरी ओर, 16 नवंबर, 1994 के आदेश में आयु में छूट सामान्य तौर पर दी गई है, किसी विशेष कठिनाई के मामले में नहीं। आगे यह तर्क दिया गया कि सामान्य छूट देने वाला ऐसा

आदेश उपरोक्त नियम के विपरीत होगा। यह अच्छी तरह से तय हो चुका है, विद्वान वकील ने आगे कहा, कि एक कार्यकारी आदेश वैधानिक नियमों को खत्म नहीं कर सकता है। इस रुख को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी-आयोग के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि आयु में छूट देने वाला 16 नवंबर, 1994 का आदेश वैधानिक नियमों के विपरीत और उल्लंघनकारी होने के कारण कायम नहीं रखा जा सकता है।

(30) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील और साथ ही हरियाणा राज्य के विद्वान उप महाधिवक्ता ने एक स्वर से कहा कि यह नियम राज्य सरकार को किसी भी नियम को शिथिल करने में सक्षम बनाता है जो किसी विशेष मामले में कठिनाई का कारण बनता है। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार ने सिंचाई विभाग के ऐसे सेवारत उम्मीदवारों के मामलों पर विचार किया, जिन्हें आयु सीमा के कारण ऐसी कठिनाई और कठिनाई का सामना करना पड़ा और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कुछ सेवारत उम्मीदवार जो याचिकाकर्ताओं की तुलना में अधिक उम्र के थे, उन्हें *परवीन जिंदल के मामले (सुप्रा)* में पारित आदेश के तहत माननीय सर्वोच्च

न्यायालय द्वारा विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई थी और, इसलिए, विशेष रूप से सेवारत उम्मीदवारों, सरकार ने, 16 नवंबर, 1994 के आदेश के माध्यम से, सिंचाई विभाग के ऐसे सेवारत उम्मीदवारों को होने वाली कठिनाई को दूर करने और आयु में छूट देने के लिए कदम उठाया। हमने इस संबंध में प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर काफी विस्तार से विचार किया है और हमारा दृढ़ विचार है कि जहां पूर्वोक्त नियम राज्य सरकार को किसी व्यक्ति से संबंधित किसी विशेष मामले में कठिनाई को दूर करने के आदेश जारी करने का अधिकार देता है, यह निश्चित रूप से राज्य सरकार को एक ही विभाग में समान रूप से स्थित सभी व्यक्तियों के संबंध में कार्य करने का अधिकार देता है और परिणामस्वरूप, आयु में छूट के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय को अनुचित, अन्यायपूर्ण और नियम 22 के विपरीत नहीं माना जा सकता है। राज्य सरकार का निर्णय, जैसा कि पत्र, अनुलग्नक पी 4 के माध्यम से सूचित किया गया है, हमारे विचार में, पूरी तरह से कानूनी, उचित है, और नियमों के नियम 22 के प्रावधानों के अनुसार है और प्रतिवादी-आयोग के रुख में कोई दम नहीं है।

(31) उत्तर आयोग के विद्वान वकील का तर्क यह था कि राज्य सरकार नियमों में संशोधन नहीं कर सकती या विज्ञापन जारी होने के बाद चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद आयु में छूट दी गई और इसके समर्थन में उन्होंने *डॉ. के. जयसवाल बनाम सुश्री देबी मुखर्जी और अन्य* (12) में टिप्पणियों पर भरोसा किया। उस मामले में, आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया शुरू करने या पद के लिए विज्ञापन देने से पहले, सरकार ने संबंधित पद के लिए चयन संबंधी मांग वापस ले ली। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि सरकार किसी निश्चित समय पर संबंधित पद पर पदोन्नति प्रदान करने की दृष्टि से भर्ती नियमों में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार कर रही थी, आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किए जाने और चयन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले सरकार आयोग से नियमों में संशोधन के सवाल पर निर्णय होने तक उसे वापस लेने का अनुरोध कर सकती थी। उस मामले में, विज्ञापन जारी होने से पहले नवंबर 1989 में आयोग को भेजी गई मांग को वापस लेने के सरकार के निर्णय ने चयन के किसी भी निहित अधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि वह चरण अभी तक नहीं पहुंचा था।

(12) जे.टी. 11992 ((1) एस.सी. 315.

माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे यह निर्णय दिया प्रश्नगत पद पर नियुक्ति के तरीके के रूप में पदोन्नति प्रदान करना है या नहीं, यह निर्णय लेना सरकार पर छोड़ दिया गया नीतिगत मामला है और यदि वह चाहती है कि प्रश्न की जांच होने और उस पर अंतिम निर्णय लेने तक चयन प्रक्रिया को स्थगित रखा जाए, आयोग के लिए यह खुला नहीं था कि वह उस ओर से सरकार के संचार को नजरअंदाज करे और चयन प्रक्रिया को गति देने के लिए आगे बढ़े। आगे यह माना गया कि आयोग की कार्रवाई कुछ हद तक जल्दबाजी और अनुचित थी।

(31) इसलिए, इससे पता चलता है कि सरकार को चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले नियम में संशोधन करने या आयु सीमा सहित पात्रता शर्तों में ढील देने का अधिकार है। यह भी विवादित नहीं है कि सरकार के आदेश पर पदों के संबंध में विज्ञापन जारी होने के बाद चयन प्रक्रिया शुरू होती है। हालाँकि, मौजूदा मामले में, आयोग से नियमों के आयु सीमा नियम 22 में ढील देकर एक शुद्धिपत्र जारी करने का अनुरोध किया गया था और सरकार के

साथ मुख्य विचार यह था कि इससे सेवारत करियर को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। वे अभ्यर्थी जिनके पास क्लास-I पद के लिए अपेक्षित योग्यताएं थीं और जिन्हें आयु सीमा के कारण वंचित कर दिया गया था। हमारे विचार से आयोग का रुख न्यायसंगत एवं उचित नहीं है क्योंकि आयोग पहले से ही आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, 16 नवंबर, 1994 के एक पत्र, अनुलग्नक पी 4 के माध्यम से किए गए अनुरोध के अनुसरण में एक शुद्धिपत्र जारी करें, और इससे याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ सिंचाई विभाग के अन्य सेवारत उम्मीदवारों को विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करने में मदद मिलेगी।

(32) अंत में, विद्वान वकील ने यह रुख अपनाया कि राज्य सरकार की कार्रवाई ने केवल सिंचाई विभाग के सेवारत उम्मीदवारों को आयु में छूट देकर हरियाणा राज्य के तहत अन्य विभागों के सेवारत कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया है। हम इस मामले के इस पहलू में प्रवेश करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं क्योंकि किसी अन्य विभाग से ऐसा कोई सेवाकालीन उम्मीदवार हमारे सामने नहीं है।

(33) प्रतिवादी आयोग द्वारा उठाए गए विभिन्न अनुरोधों की जांच करने के बाद, हमारा विचार है कि प्रतिवादी-सरकार के अनुरोध को पूरा करने के लिए शुद्धिपत्र जारी करने में कानून में कोई बाधा नहीं है और भर्ती के लिए एक संवैधानिक एजेंसी के रूप में प्रतिवादी-आयोग को नियोक्ता सरकार-प्रतिवादी के निर्णय का पालन करना होगा।

इन कारणों को ध्यान में रखते हुए, हमने ऊपर उल्लिखित दोनों रिट याचिकाओं (सी.डब्ल्यू.पी नंबर 10787 ऑफ 1995 और सी.डब्ल्यू.पी नंबर 12036 ऑफ 1995) में अपना आदेश पारित किया है।

आरजेजेजेएल

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रमनीक कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा